संख्या-65/2016/254/22-2-2016-17(103)/2012

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 13 जून, 2016***

विषय:- जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी उस्मानुलहक पुत्र श्री रिजवानुलहक, निवासी जनपद-मुरादाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2563/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/22-12-2015 दिनांक 25-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी उस्मानुलहक पुत्र श्री रिजवानुलहक, ग्राम-पीपलसाना, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 20-09-2000 को अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या का अपराध कारित किया गया है। बंदी को सत्र परीक्षण संख्या 263/02 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-6 मुरादाबाद द्वारा दिनांक 11-05-2009 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी के 04 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या में कहा गया है कि बन्दी पुन: अपराध करने अशक्त नहीं है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जिस कारण बन्दी का जेल में निरूद्ध रहना आवश्यक है, बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा प्रबल विरोध किया गया है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी उस्मानुलहक (बन्दी संख्या-690/2009) पुत्र श्री रिजवानुलहक, निवासी जनपद-मुरादाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-65/2016/254(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।